

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भू.अ./NLRMP/F-126/2017/977

दिनांक:- 18-05-18

जिला कलक्टर,
अजमेर


विषय :- ई-धरती सॉफ्टवेयर के न्यू जिम्न की समस्या के संबंध में।

प्रसंग:- कलक्टर (भू0अ0), अजमेर का पत्रांक 4018 दिनांक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा तहसील ब्यावर के संबंध में अवगत कराया गया है कि ब्यावर तहसील की जमाबन्दियों में निम्नांकित जिम्न दर्ज है, लेकिन ई-धरती सॉफ्टवेयर में उक्त जिम्न दर्ज करने का प्रावधान नहीं होने से जिम्न कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः ई-धरती सॉफ्टवेयर में निम्नांकित जिम्न का प्रावधान कराने हेतु लिखा गया है, इस संबंध में सॉफ्टवेयर में पूर्व प्रावधित जिम्न में निम्नानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

क्र. सं.	किस्म विवरण	जिम्न का प्रकार	सॉफ्टवेयर में पूर्व प्रावधित जिम्न
1	आरक्षित भूमियां	आरक्षित भूमियां	सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमियों के जिम्न में उक्त प्रकार की भूमियों को दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में जिस प्रयोजन से भूमि आरक्षित की गई है दर्ज किया जावे।
2	कस्टोडियन भूमियां	कस्टोडियन भूमियां	सॉफ्टवेयर में सरकारी भूमियों के जिम्न में उक्त प्रकार की भूमियों को दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में कस्टोडियन भूमि दर्ज किया जावे।
3	शाश्वत गैर खातेदार	शाश्वत गैर खातेदार	सॉफ्टवेयर में गैर खातेदार के जिम्न दर्ज करते हुए विशेष विवरण के कॉलम में शाश्वत गैर खातेदार दर्ज किया जावे।


निबंधक,


राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

दिनांक 18-05-18

क्रमांक: सम/ 978-79

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।
2. कलक्टर (भू0अ0.) समस्त।


प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

435/DILRMP

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 972

दिनांक:- 18-05-18

जिला कलक्टर,
अजमेर


विषय :- ई-धरती सॉफ्टवेयर के न्यू जिम्न की समस्या के संबंध में।
प्रसंग:- कलक्टर (भू0अ0), अजमेर का पत्रांक 4018 दिनांक 10.05.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा तहसील ब्यावर के संबंध में अवगत कराया गया है कि ब्यावर तहसील की जमाबन्दियों में निम्नांकित जिम्न दर्ज है, लेकिन ई-धरती सॉफ्टवेयर में उक्त जिम्न दर्ज करने का प्रावधान नहीं होने से जिम्न कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अतः ई-धरती सॉफ्टवेयर में निम्नांकित जिम्न का प्रावधान कराने हेतु लिखा गया है, इस संबंध में अवगत करावे कि :-

क्र. सं.	किस्म विवरण	जिम्न का प्रकार	वांछित सूचना
5	लीज धारक	लीज धारक	लीज भूमि खातेदारी है अथवा गैर खातेदार भूमि है। सॉफ्टवेयर में लीज भूमि का जिम्न का प्रावधान है अथवा नहीं।

उपरोक्त सूचना प्रदत्त करावें जिससे सॉफ्टवेयर में नियमानुसार आवश्यक प्रावधान करवाए जा सके।



सिबधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक 18-05-18

क्रमांक: सम/973

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग एवं नोडल अधिकारी DILRMP, राजस्थान, जयपुर।

//
प्रभारी अधिकारी DILRMP,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर